UPHR010016612022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई (उत्तर प्रदेश)

उपस्थित:– रीता कौशिक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code– UP 5728

Sessions Case No.	631/2022
C.N.R NO.	UPHR010016612022
Registered on	28.04.2022
Decided on	10.08.2026

स्टेट आफ यू०पी०––––––––––––––––––––––अभियोजन पक्ष।

विरूद्ध

1– सुधीर कुमार पुत्र मोहनलाल

2– मोहनलाल पुत्र गनेश प्रसाद

3– श्रीमती कलावती पत्नी मोहनलाल

सर्वनिवासीगण–ग्राम महरोनिया थाना सण्डीला जनपद हरदोई।

––––––––––––––––––––––––––––––––––अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध सं०	448/2021
अंतर्गत धारा	498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व विकल्प में धारा–302/34 भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना व जिला	थाना सण्डीला, जिला हरदोई
राज्य की ओर से	श्री चन्दन कुमार सिंह, एडवोकेट सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)
अभियुक्तगण की ओर से	श्री हर्ष कुमार सिंह, एडवोकेट

निर्णय

01– पुलिस थाना सण्डीला जनपद हरदोई द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–448/2021 अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा अभियुक्तगण सुधीर कुमार,

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.08.11 11:20:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मोहनलाल एवं श्रीमती कलावती के विरूद्ध विचारण हेतु प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किये जाने के उपरान्त सत्र वाद संख्या–631/2022 में अभियुक्तगण सुधीर कुमार, मोहनलाल एवं श्रीमती कलावती का अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व विकल्प में धारा–302/34 भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोपित कर विचारण किया गया।

02– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2021 को वादी मुकदमा उमेश की ओर से एक लिखित तहरीर थाना सण्डीला जिला हरदोई में इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि "प्रार्थी ने अपनी बहन शैल कुमारी की शादी आज लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 03.12.2015 को सुधीर कुमार पुत्र मोहनलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बुद्धा खेडा मजरा सोम थाना सण्डीला जिला हरदोई के साथ हिन्दू रीत रिवाज के साथ की थी। शादी में मिले उपहार व सामान से मेरी बहन शैल कुमारी के पति सुधीर कुमार, ससुर मोहन लाल पुत्र गनेश उम्र लगभग 60 वर्ष व सास कलावती पत्नी मोहनलाल उम्र लगभग 58 वर्ष, देवर नागेन्दर उम्र 22 वर्ष, अजीत उम्र 24 वर्ष, जेठ पंकज उम्र 32 वर्ष व जेठानी सीमा उम्र 20 वर्ष पत्नी पंकज व ननद गीता पत्नी राजेन्द्र निवासी ग्राम महरोनिया आये दिन दहेज को लेकर सभी लोग ताने मारते रहते थे। अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन कि मांग किया करते थे। मांग पूरी न होने पर मेरी बहन को दो बार मार पीटकर प्रताणित करते थे। दिनांक 19.10.2021 लगभग समय 11 बजे सुबह उपरोक्त सभी लोगों ने मेरी बहन को अतिरिक्त दहेज न मिल पाने के कारण गाली गलौज कर मारा पीटा तथा मेरी बहन को जबरजस्ती जान से मारने के लिये फांसी पर लटका दिया। उसके बाद समय लगभग समय 12 बजे प्रार्थी को प्रार्थी कि बहन के ससुराल से फोन आया की तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है। प्रार्थी, उसका भाई उमेश व गंगा प्रसाद ने जब पुनः फोन किया तो पता चला कि प्रार्थी कि बहन सण्डीला सरकारी अस्पताल में है। प्रार्थी सी.एच.सी सण्डीला अस्पताल पहुंचा तो अपनी बहन को देखा जोकि एम्बुलेंन्स मे मरणासन्न हालत में थी। जोकि डाक्टर ने ट्रामा सेन्टर लखनऊ रेफर कर दिया जो कि वहां इलाज के दौरान दिनांक 22.10.2021 समय करीब 5 बजे मृत्यु हो गई। उपरोक्त लोगों ने मेरी बहन को अतिरिक्त दहेज न मिल पाने के कारण मारा पीटा और फांसी पर लटका दिया। इसके पूर्व में भी दहेज को लेकर मेरी बहन को कई बार मारा पीटा था तब मेरी बड़ी बहन सरोजनी के ससुर विक्रमशाह ने मेरी बहन शैलकुमारी की ससुराल में जाकर समझाया था। प्रार्थी की बहन शैल कुमारी की इलाज के दौरान दिनांक 22.10.2021 समय करीब 5:00 बजे मृत्यु हो गई है।'’

03– वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सण्डीला जिला हरदोई में दिनांक 24.10.2021 को मुकदमा अपराध संख्या–448/2021 धारा–498 ए, 304 बी भा० दं० सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण सुधीर कुमार, मोहनलाल एवं श्रीमती कलावती व अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

04– विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहान के बयान अंकित

किए गए। घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–03 तैयार किया गया। विवेचना के दौरान पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त कर व साक्ष्य संकलित कर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्तगण सुधीर कुमार, मोहनलाल एवं श्रीमती कलावती के विरूद्ध धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में विचारण हेतु आरोप पत्र प्रदर्श क–6 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

05– आरोपपत्र प्राप्त होने पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। धारा–207 दं०प्र०सं० के प्राविधान का अनुपालन करने के उपरान्त प्रकरण अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

06– दिनांक 24.05.2022 को अभियुक्तगण सुधीर कुमार, मोहनलाल एवं श्रीमती कलावती के विरूद्ध धारा–498 ए, 304 बी व विकल्प में धारा–302/34 भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में प्रथम दृष्टया विचारण हेतु मामला पाते हुए आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा जुर्म से इन्कार करके परीक्षण की माँग की गयी तब न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य हेतु तिथि नियत की गयी।

07– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–01 लगायत 08 को परीक्षित कराया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अभियोजन साक्षी संख्या	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी०डब्लू०–01	उमेश	वादी मुकदमा (मृतका का भाई)
पी०डब्लू०–02	रामकली	मृतका की माँ
पी०डब्लू०–03	रोहित	मृतका का भाई
पी०डब्लू०–04	गंगा प्रसाद	मृतका का भाई
पी०डब्लू०–05	सुरेश	मृतका का पिता
पी०डब्लू०–06	डा० नीलम्बर झा	पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक
पी०डबलू०–07	डा० आशीष कुमार	पोस्टमार्टम करने के समय उपस्थित चिकित्सक
पी०डब्लू०–08	सेवानिवृत्त सी०ओ० महावीर सिंह	विवेचक

08– अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के संबंध में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं :–

<u>अभियोजन की प्रदर्श सूची</u>

क्रम सं०	**प्रदर्श**	**दस्तावेज का विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1	प्रदर्श क–1	तहरीर	वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>उमेश</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रदर्श क–2</td><td>शव विच्छेदन आख्या</td><td>पी०डब्लू०–06 डा० नीलाम्बर झा</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रदर्श क–3</td><td>घटनास्थल का नक्शा नजरी</td><td>विवेचक सेवानिवृत्त सी०ओ० महावीर सिंह</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रदर्श क–4</td><td>प्रथम सूचना रिपोर्ट</td><td rowspan="7">अभियुक्तगण की ओर से औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रदर्श क–5</td><td>कायमी मुकदमा जी०डी०</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रदर्श क–6</td><td>आरोपपत्र</td></tr>
<tr><td>7</td><td>प्रदर्श क–7</td><td>फर्द लेने कब्जा एक अदद साड़ी</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रदर्श क–8</td><td>पंचायतनामा</td></tr>
<tr><td>9</td><td>प्रदर्श क–9</td><td>चालान लाश</td></tr>
<tr><td>10</td><td>प्रदर्श क–10
प्रदर्श क–10 ए</td><td>इमरजेंसी रजिस्टर की छायाप्रति</td></tr>
</table>

09– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–04, कायमी मुकदमा जी०डी० प्रदर्श क–05, आरोपपत्र प्रदर्श क–06, फर्द लेने कब्जा पुलिस एक अदद साड़ी प्रदर्श क–07, पंचायतनामा प्रदर्श क–08, चालान लाश प्रदर्श क–09, इमरजेंसी रजिस्टर की छायाप्रति प्रदर्श क–10 व क–10 ए की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है।

10– अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत कहा, साक्षी पी०डब्लू०–1 के बयान के संबंध में कथन किया है कि फर्जी तथ्यों पर मुकदमा लिखाया गया, तथ्य के अन्य साक्षीगण के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहा, चिकित्सक के साक्ष्य के संबंध में कहा कि फर्जी रिपोर्ट बनायी गयी, प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता के संबंध में कुछ नहीं कहा, अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन व विपक्षियों के बहकावे में चलना कहा तथा तथा सफाई में साक्ष्य देने से इन्कार किया तथा कथन किया कि मृतका की शादी घटना के लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी। मृतका ने शहर में रहने की जिद में आत्म हत्या की थी, जिसका इलाज लखनऊ तक कराया था।

11– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्ष्य से यह साबित है कि दिनांक 19.10.2021 के पूर्व समय–समय पर स्थान घर अभियुक्तगण वहद ग्राम महरोनिया थाना सण्डीला जिला हरदोई में वादी मुकदमा उमेश की बहन शैल कुमारी, जिसकी शादी दिनांक 03.12.2015 को अभियुक्त सुधीर के साथ हुई थी, से अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन की मांग करने व उसकी पूर्ति वादी मुकदमा द्वारा न कर पाने के कारण प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की। दिनांक 19.10.2021 को समय 11.00 बजे

वादी मुकदमा की बहन शैल कुमारी की फाँसी पर लटका दिया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.10.2021 को उसकी मृत्यु हो गयी। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। साक्षी पी०डब्लू०–01 वादी मुकदमा उमेश ने अपने बयान में तहरीर प्रदर्श क–01 को साबित किया है। साक्षी पी०डब्लू०–06 डॉ० डा० नीलाम्बर झा ने अपने बयान में मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया है। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन के शेष प्रपत्रों चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–04, कायमी मुकदमा जी०डी० प्रदर्श क–05, आरोपपत्र प्रदर्श क–06, फर्द लेने कब्जा पुलिस एक अदद साड़ी प्रदर्श क–07, पंचायतनामा प्रदर्श क–08, चालान लाश प्रदर्श क–09, इमरजेंसी रजिस्टर की छायाप्रति प्रदर्श क–10 व क–10ए की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है। जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। यद्यपि अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–2, 3, 4, 5 ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन नहीं किया है, किन्तु उनके साक्ष्य के उस भाग पर विश्वास किया जा सकता है, जो अभियोजन के कथानक को समर्थित करता हो। पत्रावली पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने की याचना की गयी है।

12– बचाव पक्ष की ओर से, विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की थी और न ही दहेज की मांग को लेकर शैल कुमारी को प्रताड़ित व परेशान किया। वादी की लड़की की हत्या मुल्जिमान ने नहीं की है। मृतका गांव में न रहकर शहर में रहने की जिद पूरी न होने के कारण उसने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–2, 3, 4, 5 ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध किसी भी दृष्टिकोण से साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

13– मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

14– अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 19.10.2021 के पूर्व समय–समय पर स्थान घर अभियुक्तगण वहद ग्राम महरोनिया थाना सण्डीला जिला हरदोई में वादी मुकदमा उमेश की बहन शैल कुमारी, जिसकी शादी दिनांक 03.12.2015 को अभियुक्त सुधीर के साथ हुई थी, से अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन की मांग की व उसकी पूर्ति वादी मुकदमा द्वारा न कर पाने के कारण शैलकुमारी को प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की गयी और वादी मुकदमा की बहन शैल कुमारी की फाँसी पर लटकाकर हत्या कारित की।

15– उक्त आरोप को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

16– अभियोजन कथानक के समर्थन में परीक्षित साक्षीगण में **साक्षी पी0 डब्लू0–1 उमेश,**

मृतका का भाई है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि अभियुक्त सुधीर से मैंने अपनी बहन शैल कुमारी की शादी की थी। दिनांक 03.12.2015 को मैंने बहन शैल कुमारी की शादी सुधीर कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज से की थी। शादी में मैंने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के कुछ महीनों के बाद सुधीर व उसके माता पिता व देवर नागेन्द्र, जेठ पंकज अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन की मांग करने लगे थे। यह बात मेरी बहन जब घर आती थी तब मुझे व घरवालों को बताती थी। तब मेरा छोटा भाई रोहित व मेरी बड़ी बहन ने सुसर विक्रम शाह, सुधीर व उनके परिवारवालों को समझाने गए थे। फिर भी उपरोक्त सभी मुल्जिमान नहीं माने और मेरी बहन शैलकुमारी को सोने की चैन की मांग पूरी न होने के कारण मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। दिनांक 19.10.2021 को दिन के 11 बजे बहन के देवर नागेन्द्र का फोन आया था और बताया कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है। फिर उसने फोन किया तो बताया कि हम लोग तुम्हारी बहन को लेकर सी०एच०सी० सण्डीला में है। तब मैं, मेरे माता पिता, भाई व गांव के कुछ लोग सी०एच०सी० सण्डीला सरकारी अस्पताल पहुंचे थे। पहुंचने पर मैंने अपनी बहन को देखा तो उससे पूछने का प्रयास किया तब वह मुंह से बोल नहीं पा रही थी। उसके दोनों हाथों में नीलगू निशान बने हुए थे। जब सर को हाथ लगाया तो देखा हाथ में खून लग गया था। मेरी बहन को उपरोक्त मुल्जिमानों ने मारपीटकर अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन न दे पाने के कारण फांसी पर लटका दिया था। तत्काल मेरी बहन को सण्डीला सी०एच०सी० से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफ कर दिया गया था। ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दिनांक 22.10.2021 को समय करीब शाम 5 बजे मेरी बहन की मृत्यु हो गयी थी। दिनांक 24.10.2021 को में थाना सण्डीला गया था। वहां थाने के बाहर प्रार्थनापत्र टाइपवाले से टाइप कराया था तथा उसे सुनकर अपने हस्ताक्षर बनाए थे। इस साक्षी ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

17– **साक्षी पी0 डब्लू0–2 रामकली,** जोकि मृतका की मां है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैंने अपनी लड़की शैलकुमारी की शादी घटना से लगभग 8 वर्ष पूर्व सुधीर के साथ अपनी हैसियत के अनुसार हिन्दू रीति रिवाज से राजी खुशी से की थी। शादी के बाद मेरी लड़की शैलकुमारी अपनी ससुराल में राजीखुशी से रह रही थी। मेरी लडकी शैलकुमारी को उसके पति सुधीर, सास कलावती व ससुर मोहनलाल ने कभी भी अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन को मांगकर प्रताड़ित नहीं किया था और न ही उसे कभी मारापीटा। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की घर पर आती थी तब मुझको बताती थी। मेरी लड़की शैलकुमारी गांव में न रहकर शहर में रहने की जिद अपने पति सुधीर से करती थी। सुधीर उसको बहुत समझाया था कि अच्छी व्यवस्था करके शहर में रहेंगे। लेकिन मेरी लड़की शैलकुमारी शहर में रहने की बात को लेकर अड़ी रही। इस बाबत मेरे दामाद सुधीर कुमार ने मुझको भी बताया था। मैंने अपनी लड़की को समझाया था। परन्तु वह नहीं मानी। गांव में न रह कर शहर में रहने की जिद पूरी न होने के कारण उसने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। मेरी पुत्री के मरने के बाद सुधीर की सूचना पर हम सब लोग परिवार सहित अपनी लड़की की ससुराल गए थे। उस समय मेरी लड़की जिंदा थी। बोल नहीं पा रही थी। शैलकुमारी के

ससुराल वाले उसे सरकारी अस्पताल सण्डीला ले गए थे। जहां से उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। उपरोक्त मुल्जिमान ने मेरी लड़की शैलकुमारी को अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन मांगकर न मारापीटा न प्रताड़ित किया। ट्रामा सेंटर लखनऊ में मेरी लड़की की मृत्यु हो गयी।

18– **साक्षी पी0 डब्लू0–3 रोहित,** मृतका का भाई है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सुधीर से मेरी बहन शैलकुमारी व्याही थी। मोहनलाल मेरे बहन के ससुर, रामकली सास हैं। मेरी बहन शैलकुमारी की शादी सुधीर के साथ उसके मरने से आठ वर्ष पूर्व हुई थी। शादी राजी खुशी से दान दहेज देकर हुई थी। शादी के बाद से मेरी बहन शैलकुमारी अपनी ससुराल में अपने पति सुधीर व सास ससुर के साथ राजी खुशी से रह रही थी। मेरी बहन का एक पुत्र है, जिसकी उम्र 4–5 वर्ष है। मेरी बहन शैलकुमारी शादी के बाद से अपनी ससुराल से कई बार विदा होकर मेरे यहां आयी तथा उसका पति सुधीर कुमार उसे कई बार राजीखुशी से विदा से कराकर अपने साथ ले गया। इस बीच मेरी बहन शैलकुमारी ने कभी भी अपने पति सुधीर, ससुर मोहनलाल सास कलावती के द्वारा अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन की मांग को लेकर मारने पीटने वाली बात व प्रताड़ित करने वाली हम लोगों को नहीं बतायी थी। मेरे बहनोई सुधीर कुमार का अपने माता पिता से बटवारा हो गया था। सुधीर मेरी बहन के साथ अलग मकान में राजी खुशी रहते थे। मेरी बहन शैलकुमारी सुधीर से शहर में मकान लेकर रहने को कहती थी। मेरे बहनोई सुधीर ने उसे कई बार समझाया था कि अभी हम लोगों की हैसित शहर में मकान लेने की नहीं है। थोड़ा रूक जाओ बाद में व्यवस्था करेंगे। मेरी बहन इसी बात को लेकर जिद पर अड़ी रही। मेरे बहनोई सुधीर ने हम लोगों को कई बार इस बारे में बताया था। हम लोगों ने अपनी बहन को समझया। इसी बात से क्षुब्ध होकर मेरी बहन शैल कुमारी ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी। दिनांक 19.10.2021 को दिन में 12 बजे मेरे बनोई सुधीर ने उसके फांसी लगाने की सूचना दी थी और बताया था कि हम लोग सण्डीला बेगमगंज सरकारी अस्पताल में हैं। तब हम लोग उसे देखने सण्डीला गए थे। सण्डीला से उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया था। जब मैंने शैलकुमारी को देखा था तब वह बेहोशी की हालत में थी। कुछ बोल नहीं पा रही थी। 3–4 दिन बाद शैलकुमारी की ट्रामा सेंटर लखनऊ में मृत्यु हो गयी। इस घटना के बारे में पुलिसवाले मुझे कभी नहीं मिले। मुझसे कोई पूछताछ नहीं की।

19– **साक्षी पी0 डब्लू0–4 गंगा प्रसाद,** जोकि मृतका का भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैंने अपनी बहन शैलकुमारी की शादी घटना से लगभग 8 वर्ष पूर्व सुधीर के साथ अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर की थी। मेरी बहन के पति सुधीर, ससुर मोहनलाल व सास श्रीमती कलावती ने मेरी बहन को अतरिक्त दहेज में सोने की चैन की मांग करके मारपीट व प्रताड़ित नहीं करते थे। मेरी बहन जब घर विदा होकर आती थी तो उसने भी कभी उपरोक्त मुल्जिमानों द्वारा अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन व मारने पीटने व प्रताड़ित करने की बात नहीं बतायी थी। मेरी बहन शैलकुमारी के एक पुत्र है, जिसकी आयु 4–5 वर्ष है। मेरे बहनोई सुधीर बंटवारे के बाद अपने माता पिता से अलग रहते थे। दिनांक 10.10.2011 को समय करीब 11.30 बजे सुधीर ने फोन करके सूचित किया था कि तुम्हारी बहन शैलकुमारी ने फांसी लगा ली है। वह

सण्डीला सरकारी अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद सरकारी अस्पताल से ट्राम सेंटर रेफर कर दिया गया था। मेरे बहनोई उसे लेकर साथ गए थे। दिनांक 22.10.2021 मेरी बहन शैलकुमारी की ट्रामा सेंटर लखनऊ में मृत्यु हो गयी। मेरी बहन शैलकुमारी अपने पति सुधीर से गांव छोड़कर शहर में रहने वाली बात कहती थी। मेरे बहनोई ने उसे काफी समझाया कि थोड़ा ठीक हो जाए फिर शहर में रहेंगे। परन्तु मेरी बहन शहर में रहने वाली बात को लेकर अड़ी रही। शहर में न रहने से इसी बात को लेकर क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। उपरोक्त मुल्जिमानों ने न ही कभी अतिरिक्त दहेज की मांग की और न ही मारपीटकर प्रताड़ित किया। मेरी बहन का पंचनामा मेरे सामने हुआ। इस साक्षी द्वारा पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्ट की गयी।

20– **साक्षी पी0 डब्लू0–5 सुरेश,** जोकि मृतका का पिता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी पुत्री शैलकुमारी के पति सुधीर हैं। मोहनलाल ससुर हैं। कलावती सास हैं। मैंने अपनी पुत्री शैलकुमारी की शादी उसके मरने से 8 वर्ष पूर्व सुधीर के साथ राजीखुशी से की थी। मेरी लड़की शैलकुमारी अपने ससुराल में पति, सास व ससुर के साथ राजीखुशी से रहती थी। मेरी लड़की के एक लड़का पैदा हुआ था, जिसकी उम्र 6 साल है। मेरी लड़की अपनी ससुराल से राजीखुशी मेरे घर आती जाती थी। मेरी लड़की ने मुझे अपने पति सास ससुर द्वारा अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन मांगकर प्रताड़ित करने की वाली बात नहीं बतायी थी। मेरी लड़की अपने पति के साथ अलग मकान में रहती थी। दिनांक 10.10.2021 को समय 11.30 बजे उसकी ससुराल से देवर नागेन्द्र ने फोन करके बताया था कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली है। सूचना पर मैं सरकारी अस्पताल सण्डीला गया था। वहां से मेरी लड़की को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। मैं जब अपनी लड़की से मिला तब वह बेहाशी की हालत में थी। मेरी लड़की की मृत्यु दिनांक 22.10.2021 को ट्रामा सेंटर लखनऊ में हो गयी थी। मेरी लड़की का पंचयतनामा व पोस्टमार्टम लखनऊ में हुआ है। इस साक्षी ने पंचायतनामा पर बने अपने निशानी अंगूठा की पुष्टि करते हुए कथन किया कि मेरी लड़की शैलकुमारी अपने पति सुधीर से गांव में रहकर शहर में रहने की जिद करती थी। सुधीर ने उसे बहुत समझाया था कि अभी हमारी हैसियत शहर में रहने की नहीं है। व्यवस्था हो जाएगी तब हम लोग शहर में रहने लगेंगे। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। पुलिस ने इस घटना के बाबत मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।

21– **साक्षी पी०डब्लू०–06 डॉ० नीलाम्बर झा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.10.2021 को मेरी पोस्टमार्टम ड्यूटी के०जी०एम०यू० लखनऊ में थी। इस दिन एक सीलबंद शव 3.45 बजे शाम को 6 पुलिस प्रपत्रों के साथ मुझे प्राप्त हुआ था। शव शैलकुमारी का था। शव का पोस्टमार्टम 4 बजे प्रारम्भ करके 4.30 बजे समाप्त किया था। पोस्टमार्टम करते समय मैं तथा मेरे साथ डा० अशीष कुमार मौजूद थे। मृतका के शरीर पर मेंने निम्न चोटें पायी थी–

An oblique ligature mark 28 cm x 1cm present around the neck above thyroid cartilage in front of neck passing obliquely upward and backward along the line of mandible and it is interrupted by 5 cm postero lateral aspect of right

side of neck. Ligature mark is situated 3 cm below right ear and 7 cm below left ear. Base of groove of ligature mark yellowish, hard and parchment like.

On opening subcutaneous tissue underneath the ligature mark are white, hard and glistening.

आंतरिक परीक्षण– मृतका के सिर पर कोई चोट नहीं थी। मृत्यु का समय 5.48 पी०एम० दिनांक 22.10.2021 था। मृत्यु कोमा जोकि दिमाग में आक्सीजन की कमी के कारण हुई है तथ फंदे के कारण हुई। चोट ऐंटीमार्टम थी। फांसी खुद लगायी या किसी दूसरे के द्वारा लगायी गयी, यह हम लोग नहीं बता सकते। पोस्टमार्टम के समय मैंने व मेरे सहयोगी डा० आशीष कुमार ने हस्ताक्षर बनाए थे। इस साक्षी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

22– साक्षी **पी०डब्लू०–07 डा० आशीष कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.10.2021 को मेरी पोस्टमार्टम ड्यूटी के०जी०एम०यू० मर्चरी लखनऊ में थी। इस दिन मेरे साथ में डा० नीलाम्बर झा भी थे। एक सीलबंद शव शैलकुमारी का 6 पुलिस प्रपत्रों के साथ प्राप्त किया था। मृतका 22.10.2021 को के०जी०एम० लखनऊ में समय 3.40 पी०एम० पर भर्ती हुई थी तथा इसी दिन 5.48 पर मृत्यु हो गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे साथी डा० नीलाम्बर झा द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी थी। मैं भी उनके साथ में पोस्टमार्टम के समय बराबर उपस्थित रहा था तथा मैंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने हस्तक्षार बनाए थे। साक्षी ने प्रदर्श क–2 पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है।

23– साक्षी **पी०डब्लू०–08 सेवानिवृत्त सी०ओ० महावीर सिंह** परीक्षित हुए हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2021 को मैं क्षेत्राधिकारी सण्डीला के पद पर कार्यरत था। दिनांक 25.10.2021 को इस मुकदमे की विवेचना ग्रहण की थी। उस दिन मैंने सी०डी० के पर्चा नं 1 में वादी मुकदमा, एफ०आई०आर लेखक व अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए थे। घटनास्थल का नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर तैयार किया था। शादी का कार्ड संलग्न केस डायरी किया। इस साक्षी ने नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 व शादी का कार्ड वस्तु प्रदर्श क–1 को साबित किया है तथा कथन किया है कि दौरान विवेचना मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृतका की मृत्यु से संबंधित प्रपत्र व पंचायतनामा प्राप्त कर संलग्न केस डायरी किया तथा साक्षीगण के बयान अंकित किए गए।

24– उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का यह तर्क है कि मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण के घर में फांसी लगने से हुई है। उसकी मृत्यु विवाह के सात वर्ष में असामान्य परिस्थितियों में हुई है। अभियोजन साक्ष्य से यह साबित है कि मृत्यु से पूर्व वादी मुकदमा की बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। जबकि बचाव पक्ष का तर्क है कि उपलब्ध साक्ष्य से घटना साबित नहीं होती है। मृतका के मायके पक्ष के किसी भी गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

25– धारा 304 बी भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध के लिए मुख्य तत्व यह हैं कि–

1–विवाहिता की मृत्यु जलने से अथवा चोटों के कारण अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई हो।

2–विवाहिता की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो।

3–मृत्यु से कुछ पूर्व या शीघ्र पहले विवाहिता के साथ उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना का व्यवहार किया गया हो।

4– क्रूरता अथवा प्रताड़ना दहेज की मांग के संबध में की गयी हो।

26– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अंतर्गत यह प्रावधानित है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है अथवा नहीं और यह प्रदर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व तक उस महिला के साथ में उस व्यक्ति के द्वारा किसी दहेज की मांग के लिए क्रूरता अथवा प्रताड़ना की गयी हो तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। दहेज मृत्यु का अर्थ वही है, जैसा कि धारा 304 बी भा०दं०सं० में दिया गया है। वास्तव में धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली उपधारणा तभी की जा सकती है, जब धारा 304 बी भा०दं०सं० के तथ्य साबित होते हों।

27– सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है।

28– तहरीर प्रदर्श क–01 के अनुसार मृतका शैल कुमारी का विवाह अभियुक्त सुधीर कुमार के साथ दिनांक 03.12.2015 को हुआ था तथा मृतका की मृत्यु दिनांक 22.10.2021 को हुई है। पी०डब्लू०–01 मृतका का भाई है। उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मृतका का विवाह दिनांक 03.12.2015 को होना कहा है तथा प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि शैल कुमारी की शादी लगभग साढ़े सात वर्ष पूर्व हुई थी। पी०डब्लू०–02 रामकली मृतका की माँ, पी०डब्लू०–03 रोहित मृतका का भाई, पी०डब्लू०–04 गंगा प्रसाद मृतका का भाई एवं पी०डब्लू०–05 सुरेश मृतका का पिता है। इन साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त सुधीर कुमार की शादी मृतका शैलकुमारी के साथ घटना से करीब आठ वर्ष पूर्व हुई थी।

29– विवेचक को दौरान विवेचना वादी मुकदमा द्वारा मृतका की शादी का कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जिसे विवेचक द्वारा केस डायरी में संलग्न किया गया है एवं पी०डब्लू०–08 ने साक्ष्य के दौरान वस्तु प्रदर्श –1 के रूप में साबित किया गया है, जिसमें मृतका का विवाह दिनांक 03.12.2015 को होना अंकित है। यद्यपि साक्षीगण द्वारा पी०डब्लू०–2 ता पी०डब्लू०–5 द्वारा अपने मौखिक कथन में एवं पी०डब्लू०–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में मृतका की शादी घटना से लगभग आठ वर्ष पूर्व होना कहा गया है, किन्तु उक्त कथनों में उनके द्वारा घटना से पूर्व शादी का समय लगभग आठ वर्ष अनुमानित बताया गया है। जबकि विवेचना के दौरान संकलित किए गए दस्तावेज शादी के कार्ड से मृतका का विवाह दिनांक 03.12.2015 को हुआ है। मृतका की मृत्यु दिनांक 22.10.2021 को हुई है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मृतका की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के अंदर होना साबित होता है।

30– द्वितीय विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका की मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हुई है? जहां तक मृतका की मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थिति में होने के कारण अभियोजन कथानक साबित होने का अभियोजन का तर्क है। इस संबंध में पी०डब्लू०–06 चिकित्सक का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न है। चिकित्सक पी०डब्लू०–06 डॉ० नीलाम्बर झा द्वारा अपने बयान में शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–02 को साबित किया गया है तथा कथन किया गया है कि उनके द्वारा मृतका का शव–विच्छेदन प्रारम्भ करके डॉ० आशीष कुमार की मौजूदगी में समाप्त किया गया था। चिकित्सक द्वारा मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की कोई चोटें नहीं पायी गयीं। प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतका के मृत्यु पूर्व गले में केवल एक ही चोट थी। मृतका द्वारा स्वयं आत्म हत्या करने से भी यह चोट आना संभव है। यह कहना गलत है कि पुलिस के दबाव में मैंने झूठी रिपोर्ट बनायी है। इसी तरीके के कथन साक्षी पी०डब्लू०–07 द्वारा भी अपने बयान में किए गए हैं तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु सामान्य नहीं थी, अपितु उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों अर्थात फांसी पर लटकने से हुई है।

31– विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका से अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन की दहेज की मांग की गयी एवं इस मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया एवं दहेज की उक्त मांग एवं प्रताड़ना उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व तक जारी रही ? तहरीर प्रदर्श क–01 में वादी मुकदमा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उसकी बहन शैल कुमारी के पति सुधीर कुमार, ससुर मोहन लाल पुत्र गनेश उम्र लगभग 60 वर्ष व सास कलावती पत्नी मोहनलाल उम्र लगभग 58 वर्ष, देवर नागेन्दर उम्र 22 वर्ष, अजीत उम्र 24 वर्ष, जेठ पंकज उम्र 32 वर्ष व जेठानी सीमा उम्र 20 वर्ष पत्नी पंकज व ननद गीता पत्नी राजेन्द्र निवासी ग्राम महरोनिया आये दिन दहेज को लेकर सभी लोग ताने मारते रहते थे। अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन कि मांग किया करते थे। मांग पूरी न होने पर मेरी बहन को मार पीटकर प्रताणित करते थे। यह बात मृतका जब घर आती थी तो मुझे व घरवालों को बताती थी। दौरान विचारण साक्षी पी०डब्लू०–1 ने तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन मुख्य परीक्षा में किया है, किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं सण्डीला में नौकरी करता हूं। रोज सुबह जाता हूं। शाम को लौट आता हूं। मेरी बहन शैल कुमारी से बहुत कम बात हो पाती थी। उसकी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व से मेरी कोई बात नहीं हुई थी और न दहेज में चैन मांगने वाली बात मुझे बतायी थी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आगे कथन किया है कि मुझसे मेरी बहन ने अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन की मांग व प्रताड़ित करने वाली बात नहीं बतायी थी। इससे पूर्व मैंने जो न्यायालय में बयान दिया था, वह गांव वालों के कहने व इनके दबाव में दिया था। आज न्यायालय में सही बात बता रहा हूं। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है।

32– तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–02, पी०डब्लू०–03, पी०डब्लू०–04 व पी०डब्लू०–05 द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। पी०डबलू०–02 रामकली, जोकि मृतका की मां है, के द्वारा कथन किया गया है कि शादी के बाद मेरी लड़की शैलकुमारी अपनी

ससुराल में राजीखुशी से रह रही थी। मेरी लडकी शैलकुमारी को उसके पति सुधीर, सास कलावती व ससुर मोहनलाल ने कभी भी अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन को मांगकर प्रताड़ित नहीं किया था और न ही उसे कभी मारापीटा। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की घर पर आती थी तब मुझको बताती थी। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कहा गया कि मेरी लड़की शैलकुमारी की ससुरालवालों ने कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी थी।

33– पी०डबलू०–03 रोहित, जोकि मृतका का भाई हैं, उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरी बहन शैलकुमारी शादी के बाद से अपनी ससुराल से कई बार विदा होकर मेरे यहां आयी तथा उसका पति सुधीर कुमार उसे कई बार राजीखुशी से विदा कराकर अपने साथ ले गया। इस बीच मेरी बहन शैलकुमारी ने कभी भी अपने पति सुधीर, ससुर मोहनलाल, सास कलावती के द्वारा अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन की मांग को लेकर मारने पीटने वाली बात व प्रताड़ित करने वाली बात हम लोगों को नहीं बतायी थी। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कहा गया कि मेरी बहन मुझसे छोटी थी। उसकी शादी के बाद मैं कई बार उसकी ससुराल गया था। जब वह मेरे यहां आती थी तब कभी उसने पति सुधीर, ससुर मोहनलाल व सास कलावती द्वारा सोने की चैन की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली बात नहीं बतायी थी।

34– पी०डब्लू०–04 गंगा प्रसाद, मृतका का भाई है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरी बहन के पति सुधीर, ससुर मोहनलाल व सास श्रीमती कलावती ने मेरी बहन को अतरिक्त दहेज में सोने की चैन की मांग करके मारपीट व प्रताड़ित नहीं करते थे। मेरी बहन जब घर विदा होकर आती थी तो उसने भी कभी उपरोक्त मुल्जिमानों द्वारा अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन व मारने पीटने व प्रताड़ित करने की बात नहीं बतायी थी। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। किन्तु इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यही कथन किया गया है कि मुल्जिमान ने कभी भी शैलकुमारी को प्रताड़ित नहीं किया और न ही कभी दहेज की मांग की।

35– पी०डब्लू०–05 सुरेश मृतका का पिता है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरी लड़की शैलकुमारी अपने ससुराल में पति, सास व ससुर के साथ राजीखुशी से रहती थी। मेरी लड़की के एक लड़का पैदा हुआ था, जिसकी उम्र 6 साल है। मेरी लड़की अपनी ससुराल से राजीखुशी मेरे घर आती जाती थी। मेरी लड़की ने मुझे अपने पति सास ससुर द्वारा अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन मांगकर प्रताड़ित करने की वाली बात नहीं बतायी थी। किन्तु इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यही कथन किया गया है कि मुल्जिमान ने कभी भी शैलकुमारी को प्रताड़ित नहीं किया और न ही कभी दहेज की मांग की।

36– उपरोक्त तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि साक्षीगण के कथनों से अभियुक्तगण द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन की मांग करने और दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किये जाने के अभियोजन कथानक का इन साक्षीगण ने समर्थन नही किया है।

37– साक्षीगण पी०डबलू०–2, 3, 4 व 5 द्वारा अपने साक्ष्य में विवेचक को धारा 161 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिए गए बयान से भी पूर्णतया इन्कार किया गया है। दहेज मृत्यु के मामले में मृतका के मायके के साक्षी महत्वपूर्ण व सुसंगत साक्षी हैं। स्वाभाविक रूप से विवाहिता स्त्री ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने पर अपने मायके वालों को इसकी जानकारी देती है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत किए गए मृतका के परिवारीगण के कथन के अनुसार मृतका ने अपने घरवालों को कभी भी यह नहीं बताया कि अभियुक्तगण उससे दहेज की मांग करते हैं या उक्त मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करते थे। उपरोक्त साक्षीगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा कभी भी दहेज की मांग नहीं की गयी।

38– अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी पक्षद्रोही घोषित है, लेकिन उनका साक्ष्य इस आधर पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है। **माननीय उच्चतम नयायालय द्वारा राधेमोहन सिंह उर्फ लल्लू सिंह व अन्य बनाम उ०प्र०सं० राज्य 2006(2)ए०एल०जे० 242 (एस०सी०)** में यह अवधारित किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य इस आधार पर पूर्णतया अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करते हुए प्रतिपरीक्षा की गयी तथा समीक्षा से उसका साक्ष्य उस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है, जहां तक वह विश्वसनीय हो। किन्तु प्रस्तुत मामले में मृतका के परिवार के सदस्य के साक्ष्य पूर्णतया पक्षद्रोही है, उनके साक्ष्य से किसी भी भांति से अभियोजन कथानक मृतका से अभियुक्तगण द्वारा दहेज में सोने की चैन की मांग करते हुए उसको प्रताड़ित करने का समर्थन नहीं होता है तथा अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के तथ्य को संदेह से परे साबित करने में अभियोजन सफल नहीं हो सका है।

39– उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण ने कभी मृतका से दहेज में सोने की चैन की मांग की या उसे लेकर मृतका को प्रताड़ित किया और दहेज की यह मांग की प्रताड़ना, मृतका के मृत्यु से कुछ समय पूर्व या शीघ्र पहले तक जारी रही। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 113 बी के अंतर्गत उपधारणा का प्रभाव यह होता है कि मामले को सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है। वह सिद्ध करे कि उसके द्वारा दहेज मृत्यु कारित नहीं की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन से यह सिद्ध नहीं होता है कि मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और उसकी मृत्यु से शीघ्र पहले तक दहेज की मांग को लेकर उसके प्रति क्रूरता और प्रताड़ना का व्यवहार जारी रहा। अतः न्यायालय के समक्ष यह उपधारणा करने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की दहेज मृत्यु कारित की गयी है।

40– अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304 बी के विकल्प में धारा 302/34 भा०दं०सं० का भी अरोप विरचित किया गया है। निश्चित रूप से उक्त आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का पूर्ण दायित्व अभियोजन पर है। अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू०–1, 2, 3, 4 व 5 के कथनों से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। साक्षी पी०डब्लू०–01 ने अपने बयान में कथन किया है कि मेरी बहन सुधीर से शादी के बाद से ही कहती थी कि शहर में रहो चलके। इसी बात से नाराज होकर उसकी बहन ने आत्म हत्या कर ली थी। साक्षी पी०डब्लू०–02 ने अपने बयान में कथन किया है कि मेरी लड़की शैलकुमारी गांव में न रहकर शहर में रहने की जिद अपने पति सुधीर से करती थी। सुधीर उसको बहुत समझाया था कि अच्छी व्यवस्था करके शहर में रहेंगे। लेकिन मेरी लड़की शैलकुमारी शहर में रहने की बात को लेकर अड़ी रही। इस बाबत मेरे दामाद सुधीर कुमार ने मुझको भी बताया था। मैंने अपनी लड़की को समझाया था। परन्तु वह नहीं मानी। गांव में न रह कर शहर में रहने की जिद पूरी न होने के कारण उसने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। साक्षी पी०डब्लू०–03 ने अपने बयान में कथन किया है कि मेरी बहन शैलकुमारी सुधीर से शहर में मकान लेकर रहने को कहती थी। मेरे बहनोई सुधीर ने उसे कई बार समझाया था कि अभी हम लोगों की हैसित शहर में मकान लेने की नहीं है। थोड़ा रूक जाओ बाद में व्यवस्था करेंगे। मेरी बहन इसी बात को लेकर जिद पर अड़ी रही। मेरे बहनोई सुधीर ने हम लोगों को कई बार इस बारे में बताया था। हम लोगों ने अपनी बहन को समझया। इसी बात से क्षुब्ध होकर मेरी बहन शैल कुमारी ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी। पी०डब्लू०–04 ने अपने बयान में कथन किया है कि मेरी बहन शैलकुमारी अपने पति सुधीर से गांव छोड़कर शहर में रहने वाली बात कहती थी। मेरे बहनोई ने उसे काफी समझाया कि थोड़ा ठीक हो जाए फिर शहर में रहेंगे। परन्तु मेरी बहन शहर में रहने वाली बात को लेकर अड़ी रही। शहर में न रहने से इसी बात को लेकर क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। साक्षी पी०डब्लू०–05 ने अपने बयान में कथन किया है कि मेरी लड़की शैलकुमारी अपने पति सुधीर से गांव में रहकर शहर में रहने की जिद करती थी। सुधीर ने उसे बहुत समझाया था कि अभी हमारी हैसियत शहर में रहने की नहीं है। व्यवस्था हो जाएगी तब हम लोग शहर में रहने लगेंगे। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से मृतका द्वारा स्वयं फांसी लगाकर आत्म हत्या कारित कर लेना दृष्टिगत होता है।

41– अभियुक्तगण द्वारा अपने कथन 313 दं०प्र०सं० में साक्षीगण पी०डब्लू०–1, 2, 3, 4 के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहा तथा अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलना कहा

42– पत्रावली पर अभियुक्तगण का इस आचरण का कोई साक्ष्य नहीं है कि दहेज या किसी संपत्ति की मांग को पूरा करने के लिए मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से अभियुक्तगण द्वारा प्रताड़ित किया गया हो। अतः धारा 498 ए भा०दं०सं० व धारा ¾ दहेज प्रति०अधि० के प्रावधान भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं तथा धारा 113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी उपधारणा किए जाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि मृतका को आत्म हत्या करने के लिए अभियुक्तगण द्वारा उत्प्रेरित करने के संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

43– उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सुधीर कुमार, मोहनलाल एवं श्रीमती कलावती के विरूद्ध आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० विकल्प में धारा 302/34 भा० दं० सं० व धारा 3/4 दहेज प्रति० अधि० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध से संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

सत्र वाद संख्या–631/2022, मुकदमा अपराध संख्या–448/2021, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुधीर आदि में अभियुक्तगण सुधीर कुमार, मोहनलाल एवं श्रीमती कलावती को धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व विकल्प में धारा–302/34 भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं तथा उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण धारा–481 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत मुव० 20, 000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करना सुनिश्चित करें।

प्रकरण से संबंधित वस्तु प्रदर्श, यदि कोई हो तो उसे अपील के अवधि तक तथा अपील होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुरक्षित रखा जाये।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 10.08.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 10.08.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।